UPGK010062162026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), गोरखपुर।

फौजदारी विविध वाद संख्या 700/2026

राजेन्द्र बनाम रामसमुझ व अन्य
अं०धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना–गीडा , जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 07–09–2026

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस० के आदेश हेतु नियत है, जिस पर पूर्व नियत तिथि पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है ।

आवेदक राजेन्द्र ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस० में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी की रजिस्टर्ड/बैनामा शुदा जमीन को उसके गांव के ही रामसमुझ व अन्य द्वारा प्रार्थी के हरिजन जाति के कमजोर व्यक्ति होने के नाते दबंगई के बल पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर रहे थे। उसने रामसमुझ व अन्य के खिलाफ न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु मुकदमा किया, जो परिवाद के में लंबित है। विपक्षी रामसमुझ अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर भी हुये। विपक्षी रामसमुझ ने आपराधिक षडयंत्र करके अपनी पत्नी आशा देवी के माध्यम से अपनी नाबालिग बच्ची को हथियार बनाकर उसके विरूद्ध झूठी कहानी गढ़कर घर में घुसने व गाली गलौज करने की थाना गीडा में झूठी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया , जिसके जांच के अनुक्रम में आशा देवी और रामसमुझ के आपराधिक षडयंत्र को सच्ची घटना होने का विश्वास कर थाना गीडा की पुलिस प्रार्थी को दिनांक 03–03–2026 कोथाने में बैठाया था, परन्तु जांच के उपरान्त तथाकथित घटना के समय प्रार्थी की घटना स्थल पर मौजूदगी न होने का साक्ष्य पाकर आवेदक को छोड़ दिया गया। विपक्षीगण रामसमुझ व आशा देवी द्वारा जानबूझ कर प्रार्थी को क्षोभ व क्षति कारित करने के नियत से उसके विरूद्ध मिथ्या एवं कूटरचित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार आवेदक को झूठे मुकदमें में आरोपित कराने का प्रयास किया गया। ने विपक्षीगण के विरूद्ध अतः थानाध्यक्ष गीडा को आदेशित किया जाये कि वे विपक्षीगण के विरूद्ध उचित धाराओ में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र कागज संख्या– 6ख, आधार कार्ड की छाया प्रति कागज सं० 7ख,वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को घटना के सम्बन्ध में प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति,रजिस्ट्री रसीद ,जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी आख्या मय आशा देवी द्वारा थाना प्र भारी गीडा को दिये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति दाखिल किया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सम्बंधित थाने से आख्या आख्या आहूत क गय। थाने की आख्या अनुसार आवेदक के आवेदन पत्र पर थाना गीडा में विपक्षीगण रामसमुझ व आशा देवी के विरूद्ध कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदक द्वारा मूलतः प्रस्तावित अभियुक्तगण/विपक्षीगण रामसमुझ व आशा देवी के विरूद्ध थाना गीडा में मुकदमा पंजीकृत कराये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षीगण द्वारा आवेदक के विरूद्ध झूठी शिकायती प्रार्थना पत्र उसने अवयस्क बच्ची के साथ दुराचार का आरोप लगाते हुये थाना गीडा में प्रस्तुत किया। थाना गीडा द्वारा प्रकरण को झूठा पाते हुये कार्यवाही नहीं की गयी तथा इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को दिनांक 10–06–2026 को प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से प्रस्तुत किया, पंजीकृत डाक की रसीद व जनसूचना अधिकार की आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें आवेदक को आशा देवी पत्नी रामसमुझ निवासी नगवां, पो० जैतपुर, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर के शिकायती प्रार्थना पत्र के जांच के क्रम में थाने पर बुलाया गया था तथा जांच में आवेदिका द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर राजेन्द्र पर आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी । उभयपक्ष के मध्य जमीनी विवाद है। इसी सूचना को आधार बनाकर आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पुलिस द्वारा प्रथम रूप से विपक्षी को बुलाया गया । प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया कार्यवाही के लिये पर्याप्त आधार न पाते हुये कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है। पुलिस कोई भी न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक कार्य नहीं करती। पुलिस द्वारा प्रशासनिक कार्य किया जाता है तथ प्रशासनिक कार्यवाहीं पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उपरोक्त आवेदन पत्र को झूठा आरोपित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को आख्या को आधार मानकर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाती है, अतः आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस०निरस्त किया जाता है।

(चन्द्र मणि मिश्र)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट,
गोरखपुर।
(J.O. Code– UP 6250)

`

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.09.07 16:34:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court